भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु उपलब्ध संवैधानिक प्रावधान, भारतीय दण्ड संहिता एवं उच्चतम न्यायालय की भूमिकाः एक मूल्यांकन

डॉ० प्रदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
जे०एस०एच० (पी०जी०) कॉलिज, अमरोहा, उ०प्र०
ईमेलः anantchaudhary1234@gmail.com

सारांश

भारत में पिछले कुछ दशकों से महिला सशक्तिकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। यद्यपि प्राचीन भारत में धर्मग्रंथों, उपदेशग्रथों एवं नीति नियमों से सम्बन्धित उक्तियों द्वारा महिलाओं को जननी, देवी एवं गृहलक्ष्मी जैसी महान उपाधियों से सुशोभित किया गया है। हमारे आदि ग्रथों में नारी के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करतें है। नारी में इतनी शक्ति के बावजूद भी विभिन्न ऐतिहासिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से भारतीय समाज में उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार, आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी से संबधित वृहत संसूचक भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं की कमजोर स्थिति को प्रदर्शित करते है।

नियोजन प्रक्रिया के आरम्भिक वर्ष इस सिद्धांत और विश्वास पर आधारित थे कि विकास का लाभ सम्पूर्ण भारत एवं समाज के सभी वंचित वर्गो तक समान रूप से पहुँचेगा। यद्यपि ऐसा नही हो पाया और समाज का एक बडा हिस्सा विशेषकर महिलाएँ विकास चक्र के सम्पूर्ण लाभ से वंचित हो गई। महिलाओं में भी शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएँ कही ज्यादा पीछे रह गई है। ऐसी स्थिति में महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य हो गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के दृष्टिगत महिला सशक्तिकरण हेतु संघ और राज्य सरकारों ने विभिन्न नियम, अधिनियम एवं नीतियों का निर्माण किया है। भारतीय दण्ड सहिता 1860 में भी महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था कर महिला सशक्तिकरण हेतु प्रावधान किये गये है। समय–समय पर स्वतंत्र भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिये गए निर्णयों से भी महिला सशक्तिकरण का कार्य सतत् रूप से सम्पन्न हो रहा है।

मुख्य बिन्दु

विषमता, न्याय, महिला सशक्तिकरण संकल्पना, संवैधानिक प्रावधान, भारतीय दंड संहिता एवं उच्चतम न्यायालय तथा भविष्य।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 06.03.2023
Approved: 21.03.2023

डॉ० प्रदीप कुमार

भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु उपलब्ध संवैधानिक प्रावधान, भारतीय दण्ड संहिता एवं उच्चतम न्यायालय की भूमिकाः एक मूल्यांकन

RJPP Oct.22-Mar.23,
Vol. XXI, No. I,

pp.090-096
Article No. 12

Online available at :
https://anubooks.com/rjpp-2023-vol-xxi-no-1

किसी भी समाज या देश की प्रगति एवं विकास महिलाओं को उस समाज से प्राप्त स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, प्रतिभा, अवसर एवं न्याय जैसे मूल्यो से परिलक्षित होता है। स्त्रियों की स्थिति ही किसी समाज की दशा और दिशा स्पष्ट कर देती है। समाज में स्त्री एवं पुरूष एक दूसरे के पूरक है। एक पक्ष के बिना दूसरा पक्ष अधूरा है। परिवार मात्र पुरूष से ही नही बनता ब्लकि स्त्री–पुरूष युग्म से बनता है। पिछली कुछ सदियों से पुरूष एवं स्त्रियों के सुदृढ़ रूप से स्थापित सम्बंध पितृसत्तात्मक समाज के कारण पुरूष के नारी पर अधिकार एवं वर्चस्व पर आधारित हो गए है। आज का पितृसत्तात्मक समाज इस सामाजिक व्यवस्था को विकृत करने पर लगा है।

बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या में उनका कम अनुपात, ऊँची मृत्यु दर, स्कूल में कम पंजीकृत संख्या एवं शिक्षा बीच में छोड देने की दर अधिक है। इसके अलावा अवैध देह व्यापार, बलात्कार, कठिन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह, पोषण, स्वास्थय, नियोजन एवं न्याय से भी नारी समाज वंचित है। पिछली कुछ सदी में ही विश्व में औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों सहित अनेक क्रांतिया हुई है, लेकिन पुरूष के वर्चस्व पर आधारित परिवार और परिवार के बाहरी क्षेत्रों में पुरूष और स्त्री के सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन वाली क्रांति होनी अभी शेष है।

यद्यपि प्राचीन भारत में धर्मग्रंथों, उपदेशग्रंथों एवं नीति नियमों से सम्बन्धित उक्तियों द्वारा महिलाओं को जननी, देवी एवं गृहलक्ष्मी जैसी महान उपाधियों से विभूषित किया गया है। हमारे आदि ग्रंथो में नारी के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है, परंतु सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक हो गया। पितृसत्तात्मक समाज के कारण भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उपाश्रित वर्ग की होती गयी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नियोजन, आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी से संबधित वृहत संसूचक भी पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की कमजोर स्थिति को दर्शाते है। देश में अशिक्षा, निधर्नता, गरीबी, पोषण एवं नियोजन के कारण जिस तरह की असमानता महिलाओं एवं पुरूषों में है वह किसी से छिपी नही है। महिला एवं पुरूषों के बीच यह विषमता प्राकृतिक नही बल्कि सामाजिकृत है।

विषमता

विषमता के सम्बन्ध में जे०जे० रूसों ने अपनी प्रसिद्ध कृति ''डिस्कोर्स आन इनिक्वैलिटी'' के अन्तर्गत इसे वर्णित किया है। अपनी कृति में रूसों ने मनुष्य में प्राकृतिक विषमता एवं परंपरागत विषमता का वर्णन किया है। उनके अनुसार प्राकृतिक विषमता वस्तु स्थिति का विवरण देती है। उदाहरणतया जैसे मनुष्य में आयु, ऊँचाई, गोरा एवं काला में भिन्नताएं प्राकृतिक व्यवस्था की देन है एवं प्रायः अटल या अपरिवर्तनशील होती है। दूसरी ओर परंपरागत विषमता धन–सम्पदा, पद–प्रतिष्ठा और शक्ति की भिन्नता को सूचित करती है। इनके अन्तर्गत कुछ गिने–चुने लोगो को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त होते है जिनसे जनसाधारण को वंचित रखा जाता है। ये भिन्नताएं सामाजिक व्यवस्था की देन है और ये परिवर्तनशील होती है।[1]

भारत में स्वतंत्रता उपरान्त वास्तविक संसाधनों को दृष्टिगत रखतें हुए तथा सभी संगत आर्थिक पहलुओ का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए नियोजन प्रक्रिया को अपनाया गया। नियोजन प्रक्रिया के आरम्भिक वर्ष इस सिद्धांत और मान्यता पर आधारित थे कि विकास प्रक्रिया का लाभ सम्पूर्ण राष्ट्र एवं समाज के सभी वंचित वर्गो विशेषकर महिलाओं तक पहुँचेगा। यद्यपि ऐसा नही हो पाया और समाज में महिलाएँ स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, प्रतिष्ठा, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, नियोजन एवं न्यायमूलक बुनियादी आवश्यकता में विषमता का शिकार रही तथा विकास चक्र के सम्पूर्ण लाभ से वंचित हो गयी। महिलाओं में भी शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएँ कही ज्यादा पीछे रह गयी। ऐसी स्थिति में महिला सशक्तिकरण हेतु तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण अनिवार्य हो जाता है।

न्याय

न्यायपूर्ण समाज मेंन्याय से तात्पर्य प्रक्रिया एवं परिणाम दोनो से है। अपने दोनों ही अर्थो में वह 'उपयुक्तता' की अवधारणा से जुडा हुआ है। उपयुक्तता से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि जो भी निर्णय हो रहा है और जिस ढंग से हो रहा है, वह व्यक्ति एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए तथा उसमें किसी तरह का पक्षपात नही हो। एक आदर्श स्थिति में समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व बिना किसी भेद–भाव के स्वीकार्य हो तथा समाज में सभी सुविधा उसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में पाने का अधिकार हो न की उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य कारणों की वजह से।

न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का विषय रही है। आधुनिक युग के आते–आते इसमें मौलिक परिवर्तन आ गया है। वर्तमान समय से सामाजिक न्याय की माँग की जाती है। सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज के विवश और वंचित वर्गों की दशा को सुधारने की मांग करता है ताकि उन्हे सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। समकालीन चिंतन के अन्तर्गत न्याय की समस्या पर अनेक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। उन दृष्टिकोणों में नारीवाद दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

नारीवाद के समर्थक विकसित देशों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते है। इनके अनुसार विकसित देशों में इतनी सुख–समृद्धि और उन्नति के अवसरों के बावजूद स्त्रियाँ पराधीन बनी रहती है। विकासशील देशों की स्थिति से स्पष्ट है कि वहाँ स्त्रियों के लिए उन्नति के पर्याप्त अवसर नही है। उन्हे समान कार्य के लिए समान परिश्रमिक तक उपलब्ध नही है, ब्लकि स्त्रियों के प्रति भेदभाव वहाँ प्रचलित मान्यताओं और संस्कारो का हिस्सा है।[2] ऐसी स्थिति में महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य हो जाता है।

महिला सशक्तिकरण संकल्पना

महिला सशक्तिकरण एक सर्वागीण संकल्पना है। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, नियोजन, निवेश, कौशल विकास एवं राजनीतिक भागीदारी जैसे सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधनों का आवंटन एवं निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी अहम है। दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओंके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर में सकारात्मक परिवर्तन एवं उन्नयन से है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने खेल–कूद, कला, ज्ञान–विज्ञान, अनुसंधान,

प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा सहित प्रत्येक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियों एवं मापदण्डों को छुआ है। आज देश और दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नही है, जहा महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो।

वर्तमान समय महिला सशक्तिकरण का है। आज महिलाएँ बस परिचालक से लेकर खेल–कूद, ज्ञान–विज्ञान, ग्राम सरपंच, मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्री एवं राज्यपाल से लेकर न्यायपालिका के विभिन्न उच्च पदों के साथ–साथ भारत की राष्ट्रपति भी बन चुकी है। यद्यपि फिर भी महिलाओं की स्थिति लोकतांत्रिक एवं समतामूलक समाज के अनुकूल नही है। इसलिए महिलाओं को समाज में और सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के दृष्टिगत महिला सशक्तिकरण हेतु संघ और राज्य सरकारों ने विभिन्न नियम, अधिनियम, नीतियों के निर्माण के साथ–साथ अनेक प्रावधान किये है। महिला सशक्तिकरण हेतु भारतीय न्यापालिका द्वारा भी समय–समय पर अनेक निर्णयों से अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया गया है।

भारतीय संविधान में स्त्री–पुरूष समानता की प्रतिबद्धता

संवैद्याानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में स्त्री–पुरूष समानता के प्रति संकल्प को दृढ़ता से अपनाया गया है। महिलाओं के लिए मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य में कतिपय प्रावधान इस प्रकार है।

1. अनु० 14 में राजनैतिक. आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर।
2. अनु० 15 में लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेद–भाव को राकने की व्यवस्था की गई है।
3. अनु० 15(3) में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किये गए है।
4. अनु० 16 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को भी पुरूषों के समान अवसर दिये जाने का प्रावधान है।
5. अनु० 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनो को समान रूप से प्राप्त है।
6. अनु० 23 द्वारा मानव व्यापार तथा किसी भी व्यक्ति से बेगार या जबरदस्ती काम लेना गैर कानूनी घोषित किया गया है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अन्तर्गत कमजोर वर्ग विशेषकर खेतिहर श्रमिको तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किये गए। अब भारतीय संविधान में शोषण के इन सभी स्वरूपो को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित किया गया है।[3]
7. 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार 74 वे संविधान संशोंधन अधिनियम 1992 के माध्यम से शहरी स्थानीय शासन में व्यस्क मताधिकार के आधार पर भरे जाने वाले स्थानों में एक तिहाई स्थान जिसमें सुरक्षित स्थान भी सम्मिलित है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनका आवंटन चक्रानुक्रम में किया जायेगा।[4]

8. अनु० 38 में राज्य लोककल्याण कर सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा।
9. अनु० 39 द्वारा यह व्यवस्था कि गयी है किराज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि :–
   1) सभी पुरूषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
   2) पुरूषों और स्त्रियों दोनो को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा।[5]
10. अनु० 42 में महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता हेतु उपलब्ध है।

संविधान के 42वे संविधान संसोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4क अनु० 51 (क) को जोडतें हुए नागरिको को मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की मान–मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य न करे तथा ऐसी सभी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।[6]इनके अलावा अनु० 325 में लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए अपात्र न होना और उनके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना है।[7]

उत्पीडन और हिंसा से प्रभावित स्त्रियों के लिए अनेक योजनाएं और कानून अस्तित्व में है। घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निशेध अधिनियम 1961, सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987, स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम 1986 एवं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आदि ऐसे अनेको प्रावधान है, जिनके माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य हुआ है। इसके अलावा सरकार ने अपनी योजनाओं में जल जीवन मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत पानी की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए देश के विभिन्न गाँवों की करीब 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।[8] आजादी का अमष्त महोत्सव के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के 09 लक्ष्य है। इसमें महिला सशक्तिकरण प्रमुख लक्ष्य है।[9]

भारतीय दंड संहिता

भारतीय दंड संहिता भारतीय समाज में महिलाओं को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने एवं उन्हे संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी एवं न्यायिक दंड व्यवस्था का प्रावधान है। इसमें अनेक प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है।

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अनुसार बलात्कार करने के आशय से स्त्री पर किए गए हमले से बचाव हेतु उक्त संहिता की धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनो के अधीन रहते हुए उसे हमलावर की मृत्यु कर देने का अधिकार प्राप्त है।
2. इस संहिता की धारा 312 स्त्री के गर्भपात सें सम्बंधित है। यदि चिकित्सक के द्वारा उस स्त्री का गर्भपात जीवन बचाने के प्रयोजन से सदभावनापूर्वक कारित न किया जाए एवं यदि वह स्त्री स्पन्दन गर्भा हो, ऐसी स्थिति में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से

अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिए दण्डित किया जायेगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इसके अलावा यदि स्त्री की सहमति के बिना किसी के द्वारा गर्भपात, चाहे वह स्पन्दन गर्भा हो या नही उक्त धारा में परिभाषित अपराध करता है, तब वह धारा 313 में आजीवन कारावास से या दोनो में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

3. धारा 314के अन्तर्गत गर्भवती स्त्री की सहमति के बिना ऐसा कार्य जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाए। वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इस अपराध के लिए यह आवश्यक नही है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है।
4. धारा 304 (बी) के अनुसार यदि महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर दहेज की किसी मांग के लिए पति या उसके नातेदार द्वारा या प्रताडना के फलस्वरूप सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई है, वहाँ ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा, वह सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक दण्डित किया जा सकेगा।
5. धारा 354 के अनुसार जहाँ कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या सम्भाव्य यह ज्ञात होते हुए स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के अनुसार दोनो में से किसी भांति के कारावास से अधिकतम पाँच वर्ष के लिए या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा। इसके अलावा शब्द, अंग विक्षेप या ध्वनिसेस्त्री की लज्जा का अनादर या एकान्तता का अतिक्रमण होने परदंड का प्राव्धान धारा 509 में है।

इस संहिता में उक्त के अलावा धारा 362 अपहरन, धारा 363 व्यवहरण, धारा 366 विवाह आदि करने को विवश करने के लिए, धारा 372 एवं धारा 373 वेश्या वृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना या खरीदना, धारा 375 बलातसंग, धारा 376 बलातसंग के लिए दण्ड एवं संहिता के अध्याय 20 में विवाह सम्बंधी अपराधों के विषय के साथ 498 क में पति या उसके नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता के अलावा स्त्रियों के अधिकार, गरिमा एवं प्रतिष्ठा के संरक्षण एवं उन्नयन के लिए अनेक प्रावधान है।[10]

उच्चतम न्यायालय

भारतीय न्याय पालिका के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है और एक या एक से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। भारतीय न्यायपालिका ने अनेक मामलों में दिए गए निर्णयों से महिला सशक्तिकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। दूनी चन्द्र बनाम परसराम (1970) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक अविवाहित महिला और एक तलाक शुदा स्त्री भी बच्चे को दत्तक ले सकती है।[11] दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमैंस फोरम बनाम भारत संघ (1995) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने श्रमजीवी महिलाओं के साथ बढतें हुए यौन अपराधों के लिए गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इन मामलों में शीघ्र परीक्षण कर उन्हे राहत प्रदान करने तथा उनके पुर्नवास के लिए विस्तृत मार्गदर्शक

सिद्धांतों का प्रतिपादन किया।[12]इसी प्रकार गण्डूरी कोटेश्वरम्मा बनाम चााकिरी यनाडी (2012) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 संयुक्त हिन्दू परिवार के पुरूष एवं महिला सदस्यों के मध्य अधिकारों की समानता का उपबन्ध करती है।[13]

भविष्य

उपलब्ध संवैधानिक प्रावधान, कानून, नीतिया एवं न्यायपालिका की भूमिका पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि सिद्धांत एवं व्यवहार में प्र्याप्त विषमता के बावजूद महिला सशक्तिकरण के माध्यम से नारी का भविष्य उज्जवल है एवं भारतीय नारी भारत का भविष्य होने के साथ–साथ भारत का वर्तमान भी है। देश की नारी ही नए भारत के स्वप्न को साकार कर सकती है। सन् 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की सौवी वर्षगाठ मना रहा होगा, तत्समय् भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और इसे विकसित राष्ट्र बनाने में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

संदर्भ

1. गाबा, ओ०पी०. (1998). राजनीति–सिद्धांत की रूपरेखा. मयूर पेपर बैक्सः नोएडा. पृष्ठ **211.**
2. गाबा, ओ०पी०. (2022). राजनीति–सिद्धांत की रूपरेखा. नेशनल पेपर बैक्सः दरियागंज, दिल्ली. पृष्ठ **457.**
3. शर्मा, अभिषेक. (2001). भारतीय राजनीतिक व्यवस्था. स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा०लि०ः जनकपुरी. पृष्ठ **382.**
4. शर्मा, अरूण दत्. (2014). राजनीति विज्ञान (UGCNET) अरिहन्त पब्लिकेशनः इण्डिया लि०. पृष्ठ **521, 525.**
5. शर्मा, अभिषेक. (2001). भारतीय राजनीतिक व्यवस्था. स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा०लि०ः जनकपुरी. पृष्ठ **383, 384.**
6. कटारिया, डा० सुरेन्द्र. (2002). भारतीय लोक प्रशासन. राजस्थान हिन्दीग्रंथ अकादमीः जयपुर. पृष्ठ **29.**
7. पाण्डेय, डा० जय नारायण. (2003). भारत का संविधान. सैन्ट्रल लॉ एजेन्सीः इलाहाबाद. पृष्ठ **590.**
8. लाल, भरत. (2022). सामाजिक आर्थिक विकास की बढती गति. योजना. अप्रैल. पृष्ठ **16.**
9. मिश्रा, अरविन्द कुमार. (2022). समावेशी राह पर ग्रामीण भारत. योजना. मई. पृष्ठ **9.**
10. (2006). भारतीय दण्ड संहिता 1860. सैन्ट्रल लॉ पब्लिकेशनः प्रयागराज (इलाहाबाद).
11. त्रिपाठी, ओ०पी०. (2022). हिन्दु विधि. सैन्ट्रल लॉ पब्लिकेशनः प्रयागराज (इलाहाबाद). पृष्ठ **41.**
12. पाण्डेय, डा० जय नारायण. (2003). भारत का संविधान. सैन्ट्रल लॉ एजेन्सीः इलाहाबाद. पृष्ठ **233.**
13. त्रिपाठी, ओ०पी०. (2022). हिन्दु विधि. सैन्ट्रल लॉ पब्लिकेशनः प्रयागराज (इलाहाबाद). पृष्ठ **26.**